

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/आर-36/2023- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० कुमारी मोनिका भारती, चिकित्सा पदाधिकारी-सह-सीनियर रेजिडेन्ट, नेत्र रोग विभाग, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया का अध्ययन अवधि दिनांक-27.05.2016 से 10.09.2018, उपभोगित अवधि दिनांक-25.09.2018 से 15.01.2019 एवं अध्ययन अवधि दिनांक-29.05.2019 से 28.08.2021 को निम्नवत् विनियमित किया जाता है :-

i.	दिनांक-27.05.2016 से 10.09.2018 तक	- अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में । (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)।
ii.	दिनांक-25.09.2018 से 15.01.2019 तक	असाधारण अवकाश के रूप में । (बिहार सेवा संहिता-236)
iii.	दिनांक-29.05.2019 से 28.08.2021 तक	अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में । (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)।

2 प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/आर-36/2023- 134(2) पटना, दिनांक 24/10/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया/डा० कुमारी मोनिका भारती, चिकित्सा पदाधिकारी-सह-सीनियर रेजिडेन्ट, नेत्र रोग विभाग, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया/प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव